किस्म मुकदमा...धारा 111,128 RLR Act अनवान–संघवी शांतिदेवी जैन चेरिटेबल ट्रस्ट बनाम गंगा वगैरह मु.नं.173/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1975/727 रकबा 0.9146 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे।तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2024 / 549 — दिनांक : 23.07.2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
सिंघवी शान्तिदेवी पुखराज जैन चेरिटेबल ट्रस्ट मोकलसर		गंगा पुत्री पतीया वगैरह

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं 173 / 2023 — दिनांक :– 11.07.2024

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 1975 / 727 रकबा 0.9146 हैक्टयर भूमि के चांरों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 1000 / –प्रार्थी अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना

क्रमांकः वाचक / 2024 / 550-553 — दिनांक : 23.07.2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी मोकलसर को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी संघवी शांतिदेवी पुखराज जैन चेरिटेबल ट्रस्ट,मोकलसर जरिये अध्यक्ष तेजराज पुत्र पुखराज गुलेच्छा जाति ओसवाल निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:14:00 IST
Reason: SelfAttested